तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 10 / 2023 महावीर सिंह बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 619, 621, 624, 775 व 776 कुल रकबा 5.34 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का दिनांक 12.11.2013 को पटवारी हल्का से सीमाज्ञान करवाया है। प्रार्थी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान से किसी को कोई ऐतराज नहीं है। उक्त भूमि की सीमा के अनुसार प्रार्थी पत्थरगडी करवाना चाहता है। प्रार्थी नियमानुसार नक्शा सीट उपलब्ध करवाने को तैयार है। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड संबंधी कोई दस्तावेज जमाबंदी संलग्न नहीं की है। प्रार्थी द्वारा भूमि की पत्थरगडी संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.11.2013 के अनुसार पत्थरगडी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.11.2013 से जाहिर है कि सीमाज्ञान के समय ना तो पड़ौसी खातेदार उपस्थित थे ओर ना ही प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट से संतुष्ट हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सहखातेदार होना अंकित किया है परन्तु किसी भी सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने मौजूदा प्रकरण में सिर्फ पत्थरगडी का अनुतोष मांगा है जो बिना राजस्व रिकॉर्ड और संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तथा सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। हवाई सिंह 10/10/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner